जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह मदेरणा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/36/15

वउनवान

1. शिवसिंह पुत्र धूड़े जाति जाट निवासी खेरलीतफरेला
2. नन्दन पुत्र धूड़े जाति जाट निवासी खेरलीतफरेला

तहसील कठूमर जिला अलवर

----- वादीगण

बनाम

1. देशराज पुत्र हन्सी जाति जाट
2. भरतसिंह पुत्र हन्सी जाति जाट
3. अनूपसिंह पुत्र हन्सी जाति जाट
4. रामेश्वर पुत्र हन्सी जाति जाट
5. ओमी पुत्र हन्सी जाति जाट

   निवासीयान ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर
6. गुड्डी पुत्र हन्सी जाति जाट निवासी खेरलीतफरेला

   तहसील कठूमर हालवासी सेवला तहसील नदबई
7. बत्तन पुत्री हंन्सी पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट निवासी

   खेरली तर्फ रेला हालवासी हन्तरा तहसील नदबई
8. शांति वेवा हन्सी जाति जाट निवासी खेरलीतफरेला

   तहसील कठूमर
9. एस बी आई बैंक खेरली जरिये प्रबन्धक एस बी आई

   खेरली तहसील कठूमर

---- प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री सुभाषचन्द 'अरूवा' एडवोकेट - वकील वादीगण

निर्णय

दिनांक 03.08.2017

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 288 रकवा 0.54 हे. जिसका साविक खसरा नम्बर 197 रकवा 2 वीघा 3 विस्वा ग्राम खेरलीतफरेला तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी तन्हा वादीगण के पिता धूड़े पुत्र डालू की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जब तक वादीगण के पिता जीवित रहे विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करते रहे उनके जीवनकाल में ह

वादीगण विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। लेकिन विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने अमला सैटलमेंण्ट से वेजा साज वाज होकर राजस्व रेकार्ड में गलत रूप से अपनी खातेदारी में दर्ज करा ली है। जबकि अमला सेटलमेंण्ट को विना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के पूर्व इन्द्राज को बदलने का कोई हक वो अधिकार नहीं था। अमला सैटलमेंण्ट को तो पूर्व इन्द्राज ही रिपीट करने चाहिए थे। अमला सैटलमेंण्ट को विवादित आराजी को प्रतिवादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज करने व पूर्व इन्द्राज तब्दील करने का अधिकार नहीं था। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। प्रतिवादीगण वादीगण को खातेदार मानने से इन्कार हो रहे है। जवकि विवादित आराजी के वादीगण कृषक खातेदार काश्तकार है। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त मे बाधा पैदा करते है तथा वादीगण को जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करने की धमकी देते है तथा हाल राजस्व रेकार्ड के आधार पर दीगर लोगों को रहन वय करने की धमकी देते है जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादीगण को अपार हानि क्षति व असुविधा होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने व प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पावन्द कराने व दावा मुताविक अनुतोंष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ला05 व 8 की ओर से श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट ने अधिकार पत्र पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से श्री जितेन्द्र गर्ग एडवोकेट ने अण्डरटेकिंग दी। दिनांक 14.6.2017 को प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है जिनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2066 प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–3 नकल जमाबन्दी संवत् 2033 प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी संवत् 2012 प्रदर्श–5 पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी नन्दन पी डब्ल्यू 1, गवाह राजपाल पी डब्ल्यू 2 के वयान लेखवद्ध कराये है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस पेश की है जो शामिल पत्रावली है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाह वादीगण का अवलोकन किया। मिलान क्षैत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 288 का साविक खसरा नम्बर 197 है। जमाबन्दी संवत् 2012, 2016 में साविक खसरा नम्बर 197 वादीगण के पिता धूडे पुत्र डालू जाट की खातेदारी दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2028 में विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 288 हन्सी पुत्र घीसा की खातेदारी में दर्ज है। हन्सी प्रतिवादीगण का पिता है। संवत् 2033 की जमाबन्दी में खसरा नम्बर हाल 288 हन्सी पुत्र घीसा खातेदार वकाश्त डालू पुत्र धूडे जाट सा0 देह उपकृषक साल 4 दर्ज है। चूँकि साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के पिता धूडे की खातेदारी में दर्ज है। वन्दोवस्त विभाग को तो दौराने वन्दोवस्त विवादित आराजी वावत साविक रेवन्यु रेकार्ड के अनुसार इन्द्राज रिपीट करते हुये वादीगण के पिता धूडे की खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। वन्दोवस्त विभाग को इस तरह से इन्द्राज बदल कर प्रतिवादीगण के पिता हन्सी की खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार नहीं था। जवकि संवत् 2033 की जमाबन्दी में भी वादीगण के पिता धूडे की काश्त दर्ज है। वन्दोवस्त द्वारा मनमर्जी तरीके से वादीगण के पिता धूडे की खातेदारी खत्म कर प्रतिवादीगण के पिता हन्सी की खातेदारी दर्ज करना प्रतीत होता है। गवाह वादीगण विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त वयान करते है। प्रतिवादीगण जान वूझ कर उपस्थित नहीं आये और न ही उन्होंने अपनी ओर से कोई जवाव दावा या किसी तरह का उज्र व एतराज पेश किये। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व गवाह वादीगण के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस पर मनन करने पर विवादित आराजी वादीगण के पिता धूडे की खातेदारी व कब्जे काश्त की प्रतीत होती है वन्दोवस्त विभाग द्वारा दर्ज किये गये प्रतिवादीगण के पिता हन्सी की खातेदारी के इन्द्राज गलत है। प्रतिवादीगण को विवादित आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व हाल गलत राजस्व रेकार्ड के आधार पर रहन वय करने का अधिकार नहीं है। वादीगण विवादित आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व विवादित आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड

में दर्ज प्रतिवादीगण की खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः दावा एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 288 रकवा 0.54 हे0 वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादीगण की खातेदारी के इन्द्राज कलमजन करने व उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करने के तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उत्तमसिंह मदेरणा
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 03.08.2017 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उत्तमसिंह मदेरणा
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री उत्तमसिंह मदेरणा आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/36/15

वउनवान

1. शिवसिंह पुत्र धूडे जाति जाट निवासी खेरलीतफरिला
2. नन्दन पुत्र धूडे जाति जाट निवासी खेरलीतफरिला

तहसील कठूमर जिला अलवर

----- डिग्रीदार

बनाम

1. देशराज पुत्र हन्सी जाति जाट
2. भरतसिंह पुत्र हन्सी जाति जाट
3. अनूपसिंह पुत्र हन्सी जाति जाट
4. रामेश्वर पुत्र हन्सी जाति जाट
5. ओमी पुत्र हन्सी जाति जाट

निवासीयान ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर

6. गुड्डी पुत्र हन्सी जाति जाट निवासी खेरलीतफरिला

तहसील कठूमर हालवासी सेवला तहसील नदबई

7. बत्तन पुत्री हंन्सी पत्नी बच्चूसिंह जाति जाट निवासी

खेरली तर्फ रेला हालवासी हन्तरा तहसील नदबई

8. शांति वेवा हन्सी जाति जाट निवासी खेरलीतफरिला

तहसील कठूमर

9. एस बी आई बैंक खेरली जरिये प्रबन्धक एस बी आई

खेरली तहसील कठूमर

---- मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण एकपक्षिय रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 288 रकवा 0.54 हे0 वाके ग्राम खेरली तर्फ रेला तहसील कठूमर का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादीगण की खातेदारी के इन्द्राज को कलमजन करने व उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में नवीन अंकन करने के तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर रहन का इन्द्राज बदस्तूर रहेगा।

आज दिनांक 03.08.2017 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर वो मुहर अदालत से जारी की गई।